क्र.न.

सरकार बनाम श्री: रामसेवक, सिया, भरोसी
S/o रघुवीर जाति गुर्जर
नि० बड़ागाँव

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 25/06/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामसेवक, सिया, भरोसी पुत्र श्री रघुवीर जाति गुर्जर निवासी बड़ागाँव तहसील महवा ने संवत 20-- फसल रवि / खरीफ मे ग्राम बड़ागाँव की राजकीय आराजी खसरा नं. 123 रकबा 0.45 किस्म गै. मु. रास्ता भूमि से 0.01 रकबा पर अनाधिकृत रूप से गै. मु. निर्माण मकान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 3.20 का 50 गुना 160 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार

महवा जिला दौसा